रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13012020-215357
CG-DL-E-13012020-215357

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 161] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 10, 2020/पौष 20, 1941
No. 161] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 10, 2020/ PAUSHA 20, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2020

सं. 42/2015–2020

विषयः–विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 6.01 (ट) में संशोधन।

का.आ. 171(अ).—समय–समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के अध्याय 6 के पैरा 6.01 (ट) में निम्नलिखित संशोधन करती है:

मौजूदा नीतिगत प्रावधान	संशोधित नीतिगत प्रावधान
अनुमोदन बोर्ड, मामला दर मामला आधार पर, रत्न एवं आभषूण के अलावा अन्य क्षेत्रों में ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों के आवेदन पर विनिर्मित वस्तुओं से संबंधित वस्तुओं को समेकित करने के लिए और विनिर्मित	**विकास आयुक्त/नामित अधिकारी,** मामला दर मामला आधार पर, रत्न एवं आभषूण के अलावा अन्य क्षेत्रों में ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों के आवेदन पर विनिर्मित वस्तुओं से संबंधित वस्तुओं को समेकित

वस्तुओं के साथ उनके निर्यात के लिए अनुमति दे सकता है। ऐसी वस्तुओं को पिछले वित्तीय वर्षों में यूनिट द्वारा निर्यात की गई ऐसी विनिर्मित वस्तुओं के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के पांच प्रतिशत की सीमा तक ईओयू द्वारा डीटीए से आयात करने/प्राप्त करने की अनुमति उपर्युक्त पैरा 6.01 (घ) (ii) और (iii) में यथा प्रदत्त शुल्कों और/या करों के भुगतान के साथ या बगैर, जैसा भी मामला हो, पर दी जा सकती है। ईओयू द्वारा विनिर्मित इस प्रकार खरीद की गई/आयात की गई वस्तुओं का विवरण निर्यात दस्तावेज में अलग से सूचीबद्ध किया जाएगा। ऐसे मामलों में खरीद की गई/आयातित वस्तुओं का मूल्य एनएफई और डीटीए की बिक्री हकदारी की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसी खरीद की गई/आयात की गई वस्तुओं को डीटीए में बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अनुमोदन बोर्ड किन्ही अन्य शर्तों को विनिर्दिष्ट कर सकता है।	करने के लिए और विनिर्मित वस्तुओं के साथ उनके निर्यात के लिए अनुमति दे सकता है। ऐसी वस्तुओं को पिछले वित्तीय वर्षों में यूनिट द्वारा निर्यात की गई ऐसी विनिर्मित वस्तुओं के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के पांच प्रतिशत की सीमा तक ईओयू द्वारा डीटीए से आयात करने/प्राप्त करने की अनुमति उपर्युक्त पैरा 6.01 (घ) (ii) और (iii) में यथा प्रदत्त शुल्कों और/या करों के भुगतान के साथ या बगैर, जैसा भी मामला हो, पर दी जा सकती है। ईओयू द्वारा विनिर्मित इस प्रकार खरीद की गई/आयात की गई वस्तुओं का विवरण निर्यात दस्तावेज में अलग से सूचीबद्ध किया जाएगा। ऐसे मामलों में खरीद की गई/आयातित वस्तुओं का मूल्य एनएफई और डीटीए की बिक्री हकदारी की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसी खरीद की गई/आयात की गई वस्तुओं को डीटीए में बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। **विकास आयुक्त/नामित अधिकारी** किन्ही अन्य शर्तों को विनिर्दिष्ट कर सकता है।

इस अधिसूचना का प्रभावः विनिर्मित वस्तुओं से संबंधित वस्तुओं को समेकित करने के लिए प्रस्तावों को मंजूरी देने का प्राधिकार संबंधित विकास आयुक्त/नामित अधिकारी को प्रत्यायोजित किया गया है।

[फा. सं. 01/92/180/43/एएम–20/पीसी–VI]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2020

No. 42/2015-2020

Subject: Amendment in Para 6.01(k) of Foreign Trade Policy 2015-20

S.O. 171(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of FT(D&R) Act, 1992, read with Paragraph 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, as amended from time to time, the Central Government hereby makes the following amendments in para 6.01(k) of Chapter 6 of Foreign Trade Policy 2015-20:

Existing policy provision	Amended policy provision
BOA may allow, on a case to case basis, requests of EOU / EHTP / STP/ BTP units in sectors other than Gems & Jewellery, for consolidation of goods related to manufactured articles and export thereof along with manufactured article. Such goods may be allowed to be imported / procured from DTA by EOU with or without payment of duty and/or taxes as provided at Para 6.01(d)(ii) and (iii) above, as the case may be to the extent of 5% FOB value of such manufactured articles exported by the unit in preceding financial year. Details of procured /imported goods and articles manufactured by the EOU will be listed separately in the export documents. In such cases, value of procured/imported goods will not be taken into account for calculation of NFE and DTA sale entitlement. Such procured /imported goods shall not be allowed to be sold in DTA. BOA may also specify any other conditions.	Development Commissioner / Designated Officer may allow, on a case to case basis, requests of EOU/EHTP/ STP/BTP units in sectors other than Gems & Jewellery, for consolidation of goods related to manufactured articles and export thereof along with manufactured article. Such goods may be allowed to be imported / procured from DTA by EOU with or without payment of duty and/or taxes as provided at Para 6.01(d)(ii) and (iii) above, as the case may be to the extent of 5% FOB value of such manufactured articles exported by the unit in preceding financial year. Details of procured / imported goods and articles manufactured by the EOU will be listed separately in the export documents. In such cases, value of procured/imported goods will not be taken into account for calculation of NFE and DTA sale entitlement. Such procured/imported goods shall not be allowed to be sold in DTA. Development Commissioner/Designated Officer may also specify any other conditions.

Effect of Notification: Authority of approving proposals for consolidation of goods related to manufactured articles has been delegated to Development Commissioner/Designated Officer concerned.

[F. No. 01/92/180/43/AM-20/PC-VI]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.01.13 16:30:46 +05'30'